लंबित मामलों को शीघ्र निपटाएं

▸ सुप्रीम कोर्ट सख्त, देरी पर हाईकोर्टों को निर्देश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित (रिजर्व) रखने के बाद उसे अधिकतम 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से सुनाया जाना चाहिए.

यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामला चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाना होगा. सीजेआई सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत

याचिकाओं पर निर्णय उसी दिन सुनाया जाए और यदि आदेश सुरक्षित रखा गया है तो उसे अगले दिन जारी कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.

यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट में 2022 से लंबित एक आपराधिक अपील के मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें देरी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कुल 12 निर्देश जारी किए हैं, जिनमें जमानत मामलों की त्वरित सुनवाई, जेल प्रशासन को तुरंत सूचना भेजना, और फैसलों की समयबद्ध अपलोडिंग शामिल है. कोर्ट ने कहा कि यदि 3 महीने से अधिक देरी होती है तो पक्षकार 2 दिन के भीतर सुनवाई की मांग कर सकते हैं, और 4 महीने बाद मामला दूसरी बेंच को स्थानांतरित करने की अपील भी की जा सकती है. सीजेआई ने कहा कि न्याय में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती.

पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले, विवाद बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया

नई दिल्ली, 29 मई . पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपयोग किए गए कुछ शब्दों को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगारों को 'कॉकरोच' और 'पैरासाइट' जैसे शब्द कहे गए, आप इसे कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और जज भी इंसान होते हैं, इसलिए सुनवाई के दौरान अनजाने में कोई शब्द निकल सकता है, जिसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण संदर्भ से हटकर बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है.

तेलंगाना सरकार ने जारी किए 2,000 करोड़

हैदराबाद. तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को पहले चरण के तहत कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाये भुगतान के लिए 2,000 करोड़ जारी कर दिये हैं. इसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कर्मचारी यूनियनों को दिये एक प्रमुख आश्वासन को पूरा कर दिया है. सरकार ने इससे पहले कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के नेताओं से वादा किया था कि 6,000 करोड़ का लंबित बकाया 100 दिनों के भीतर चुका दिया जायेगा. वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने शुक्रवार को 2,000 करोड़ जारी करने के आदेश जारी किये.

सहारनपुर पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर

लखनऊ, 29 मई . उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एहसान मारा गया, जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार, टीम संदिग्ध बदमाशों की तलाश में इलाके में दबिश दे रही थी, तभी दो संदिग्धों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी हुई, जिसमें बदमाश एहसान को सीने और पैर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मुठभेड़ में थाना सरसावा प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा और हेड कांस्टेबल सोनू भी घायल हो गए.

FOR SALE

इंदोर के रेसकोर्स रोड पे एमएनसी कंपनी के स्वामित्व कि ऑफिस 2 कार पार्किंग के साथ बेचने के लिये उपलब्ध है | इच्छुक खरीददार कृपया संपर्क करे 8329436086

Change in Name

It is to bring kind Notice to the people that my previous name **SHITAL KALA W/O PURAB KALA** has been changed to **SHEETAL KALA.** Therefore in future I will be known as this new name only.

SHEETAL KALA
Add: GRAM, BAKANER
SUB DISTRICT MANAWAR
DIST DHAR (M.P) 454446

निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 की मौत

▸ सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित किया

लखनऊ, 29 मई . उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में

6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. करीब साढ़े 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला.

उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के अनुसार, हादसा तेज आंधी और बारिश के कारण हुआ, जब 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं. घटना के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हादसा हमीरपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ललपुरा क्षेत्र में हुआ. मृतकों में 4 मजदूर बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे.

आर्ट ऑफ लिविंग समारोह में उपराष्ट्रपति ने जारी किया स्मारक डाक टिकट

बेंगलुरु, 29 मई .भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्मारक डाक टिकट जारी किया और पांच राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने संस्था के सामाजिक, मानवीय और वैश्विक शांति में योगदान की सराहना की.

कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें 678 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल हुए. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंतरिक शांति ही बाहरी सद्भाव की नींव है और वर्तमान समय में ध्यान, योग और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व और बढ़ गया है.पांच पहलों में यूथ करियर एक्सीलेंस प्रोग्राम, ईस्टर्न नॉलेज सिस्टम्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनक्यूबेशन, कॉन्शियसनेस स्टडीज सेंटर और 'इको शांति' पहल शामिल हैं. इनका उद्देश्य शिक्षा, स्टार्टअप, शोध, पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास को बढ़ावा देना है.

In The Court of II Additional Motar Accident Claims Tribunal, District Sehore

Presiding Officer: **महेश कुमार वर्मा**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकरण हेतु)

(MACC/0000151/2024)

अंकित राठौर.....वादी

Vs

मागवेन्द्र सिंह रावत .....प्रतिवादी

Process ID /2025

पेशी दिनांक 18/06/2026

प्रषिती-

(1) मागवेन्द्र सिंह रावत पिता कमल किशोर पता 148 सेक्टर सी विद्या पैलेस एयरपोर्ट रोड़ जिला इंदौर 452005

यह कि प्रार्थी अंकित राठौर पिता श्री शिवचरण सिंह राठौर आयु 24 वर्ष निवासी प्रेमनगर कॉलोनी गल्ला मंडी जिला सीहोर ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हो पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो. और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 20 April 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुदरा लगा कर दिया गया है।

यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश
(एम.के.वर्मा)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सीहोर
जिला सीहोर (म.प्र.)

शुभम् — शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था।

ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्शाई राशि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा।

ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति	चस्पा की दिनांक
1	लोन नं. 0MSR2408000005089175, सुंदरलाल पाटीदार, दीपिका पाटीदार	12-03-2026 & ₹ 15,73,898/-	मकान नंबर 441, वार्ड नंबर 08, प.ह.नं. 16, ग्राम-अलची, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश - 458667 / **क्षेत्रफल** - 4500 वर्ग फुट (**चतुर्सीमाः** पूर्व - सत्यनारायण पाटीदार का घर, पश्चिम - आम सड़क, उत्तर - सत्यनारायण पाटीदार की भूमि, दक्षिण - दलौदा - अलची रोड)	28-05-2026
2	लोन नं. 0INA2307000005067030, कमल सिंह चोपड़ा, चंदा चोपड़ा	12-03-2026 & ₹ 13,14,670/-	मकान का दक्षिणी भाग जो की प्लॉट संख्या 17, पैकी रुस्तम का बगीचा, ग्राम खजरानी, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001 पर स्थित है/ **क्षेत्रफल** - 286 वर्ग फुट (**चतुर्सीमाः** पूर्व - गोपीचंद का मकान, पश्चिम - सकीनाबाई का मकान, उत्तर - शेष भाग, दक्षिण - साझा मार्ग)	28-05-2026

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक: 29-05-2026

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)

ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 26/सिविल/26-27/ग्रुप नं-01 से ग्रुप नं-15 तक

निविदा आमंत्रण

दिनांक: 25.05.2026

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR Date - 08-11-2025 /NON SOR/ BUILDING SOR DATE - 02-08-2021 पर आधारित) ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https:/mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_510292_1	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 22 के अन्तर्गत सेक्टर ए एवं एएम की बेकलेन का सीमेन्ट कांक्रीट करना। (तृतीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹14,45,665/-	₹2,000/- ₹10,900/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
02	2026_UAD_510296_1	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 24 के अन्तर्गत महात्मा गांधी चौक शिव मंदिर के पीछे की क्षतिग्रस्त गलियों में रोड़ का सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य करना। (तृतीय आमंत्रण)	120 दिवस ₹18,43,412/-	₹2,000/- ₹13,900/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
03	2026_UAD_510299_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 05 के अन्तर्गत राज नगर में सांवरिया टेन्ट हाउस से बजरंग किराना तक क्षतिग्रस्त सड़क का सीमेन्ट कांक्रीट करना। (पार्षद निधि) (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹24,07,047/-	₹5,000/- ₹18,100/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
04	2026_UAD_510303_1	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 27 के अन्तर्गत बजरंग नगर कॉलोनी में म.न. 109, 240, 477 तथा 476 के आसपास एवं आवश्यक स्थानों पर पूर्व से लगे क्षतिग्रस्त पेव्हर ब्लॉक को बदलना। (द्वितीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹30,89,079/-	₹5,000/- ₹23,200/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
05	2026_UAD_510307_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 32 के अन्तर्गत स्कीम स्कीम न. 78 ई.एस. 04 में राजा बाबु सायकल वाली गली के म.न. 189 से हरीश टेलर वाली गली के म.न. 165 ई.एस 4 तक रोड़ का सिमेन्टीकरण करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹29,65,703/-	₹5,000/- ₹22,300/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
06	2026_UAD_510308_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 62 के अन्तर्गत गाड़ी अड्डा रैन बसेरा में आवश्यक रंगाई पुताई का कार्य करना। (तृतीय आमंत्रण)	90 दिवस ₹5,74,519/-	₹2,000/- ₹5,800/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
07	2026_UAD_510309_1	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 24 के अन्तर्गत परदेशीपुरा थाने के पीछे क्षतिग्रस्त रोड़ का सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹30,24,947/-	₹5,000/- ₹22,700/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
08	2026_UAD_510311_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 03 के अन्तर्गत नगीन नगर सेक्टर सी में स्थित गणेश धर्मशाला के पास की 04 गलियों में क्षतिग्रस्त रोड़ का सिमेन्टीकरण करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹34,40,923/-	₹5,000/- ₹25,900/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
09	2026_UAD_510313_1	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 26 के अन्तर्गत नेहरु नगर में स्थित म.न. 637/9 से 654/9 तक, 404/6 से 412/6 तक, 278/4 से 286/4 तक, 200/3 से 218/3 तक, 980/9 से 997/9 तक एवं झलक टेलर के पीछे वाली गलियों का सिमेन्टीकरण करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹49,61,219/-	₹5,000/- ₹37,300/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
10	2026_UAD_510314_1	झोन क्र. 04 के अन्तर्गत झोनल कार्यालय में आवश्यकतानुसार नवीन कमरों का निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य करना। (सातवा आमंत्रण)	180 दिवस ₹29,96,785/-	₹5,000/- ₹22,500/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
11	2026_UAD_510315_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 32 के अन्तर्गत स्कीम न. 78 बी.एस. 4 में स्थित विभिन्न चौक का सिमेन्टीकरण करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹47,94,226/-	₹5,000/- ₹36,000/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
12	2026_UAD_510316_1	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 22 के अन्तर्गत लवकुष एफ सेक्टर की क्षतिग्रस्त सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ के स्थान पर नवीन सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य करना। (तृतीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹53,34,128/-	₹10,000/- ₹40,100/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
13	2026_UAD_510318_1	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 24 के अन्तर्गत महादेव शिव मंदिर के आसपास की गलियों में एवं महेन्द्र यादव के निवास तक सीमेन्ट कांक्रीट कार्य करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹44,27,648/-	₹5,000/- ₹33,300/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
14	2026_UAD_510319_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 03 के अन्तर्गत नगीन नगर में कालका मंदिर से 215/बी सॉई किराना सिटी स्टार स्कूल वाली रोड़ का सीमेन्ट कांक्रीट करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹32,06,355/-	₹5,000/- ₹24,100/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026
15	2026_UAD_510320_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 11 के अन्तर्गत भागीरथपुरा में रफेली के पीछे बाबा आटा चक्की के सामने वाली गली एवं समीप गलियों का चौड़ीकरण कर सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य करना। (चतुर्थ आमंत्रण)	180 दिवस ₹32,60,510/-	₹5,000/- ₹24,500/-	10-06-2026 6.00 PM 12-06-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
जनकार्य विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **बुरहानपुर-सीएफ प्लाजा जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, अंकिता टॉकीज़ के सामने, एचडीएफसी बैंक के पास, बुरहानपुर पिन - 450331.** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL26952034, GL31168710, GL30171715.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: बुरहानपुर

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **खरगोन-खरगोन जीएल, जोशी कॉम्प्लेक्स, बावडी बस स्टैंड खरगोन -451001** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL32137248, GL31450371, GL31922320, GL41446669, GL39560674, GL44618011, GL39527190.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: खरगोन

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **रतलाम-माहिर प्लाजा जीएल - माहिर प्लाजा 81, लोकेन्द्र टॉकीज के सामने, रतलाम (म.प्र.) 457001,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL35997742, GL35840545, GL35231729, GL35580918, GL35598446, GL34644794.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिर